प्रपत्र –II

ग्राम –

ई मेल –

फोन –

फैक्स –

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

(जिला/राज्य का नाम)

क्र.

प्रबन्धक, अध्यक्ष/सचिव,

गुरुवानी फांउडेशन

विषय :– बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उप–नियम (4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र दिनांक 01/06/2016 के संदर्भ में और एतद् विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरान्त मैं जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा नर्सरी से आठवी तक के लिए तीन वर्षो की अवधि के लिए जो 2016-17 से 2020-21 तक प्रभावशील रहेगा, अस्थाई मान्यता प्रदान करता हूँ ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अधीन है –

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा VII के बाद की मान्यता से सम्बन्धित नहीं है ।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009(एनेक्सर I) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 (एनेक्सर II) विद्यालय के लिए बन्धनकारी होगा ।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या के ....%. तक प्रवेश देगा और प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा । पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा ।
4. परिच्छेद 3 में सन्दर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी । ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा ।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैंपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता–पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा ।
6. विद्यालय आयु प्रमाण–पत्र के अभाव में, साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा ।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि –
   - i). प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा ।
   - ii). किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी ।
   - iii). किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है ।
   - iv). प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा ।
   - v). कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश ।
   - vi). शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) में निर्दिष्ट न्यूनतम् योग्यताओं सहित नियुक्त किए जाते हैं । 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् योग्यताएं प्राप्त करेंगें ।
   - vii). शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप–नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशांसित होगी ।
   - viii). शिक्षक कानून के खण्ड 24(1) के तहत विशिष्टीकृत कर्त्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगें ।
8. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा ।
9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा ।

10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाए रखेंगे । अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सविधाएं निम्नानुसार है –

1. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
2. कुल निर्माण का क्षेत्रफल
3. खेल के मैदान का क्षेत्रफल
4. अध्यापन कक्षाओं की संख्या
5. प्रधानपाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष
6. बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
7. पेयजल सुविधा
8. मध्यानह भोजन पकोने हेतु किचन
9. बाधारहित पहुँच
10. शिक्षण अधिगम् सामाग्री / खेलकुद के उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा ।

12. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवसीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है ।

13. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860(1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है ।

14. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा ।

15. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेन्ट तैयार किया जाना चाहिए । एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए ।

16. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड नम्बर ......87/270...... है । इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे कृपया अंकित किया जाए ।

17. विद्यालय समय--समय पर शिक्ष संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है ।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, आवश्यकतानुसार, को सुनिश्चित किया जाए ।

19. अन्य शर्ते एनेक्सर III – के अनुसार संलग्न है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
जिला शिक्षा अधिकारी